मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या ५३/२०२१ (एम.ए.सी.पी. सं. ८५/२०२०)
श्रीमती मीरा देवी आदि बनाम विजय कुमार आदि
१२.०३.२०२१

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती मीरा देवी, रोहित, मोहित, मनीराम एवं श्रीमती हीरा देवी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक १०.०२.२०२१ को राजीनामा के आधार पर ₹७,२५,००० का एवार्ड पारित किया गया था। बीमा कम्पनी द्वारा न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी में स्थानान्तरित कर दिये हैं, जिसका यू.टी.आर. नं. AXISP0018 1271851 दिनाँक १८.०२.२०२१ है। अतः प्रार्थीगण/याचीगण ने उक्त जमाशुदा धनराशि मय ब्याज उन्हें दिलाये जाने की याचना की है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती मीरा देवी का शपथपत्र ४सी२, अपने आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति दाखिल की हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण में मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को ३बी प्रार्थनापत्र पर सुना तथा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद एवं एम.ए.सी.पी. सं. ८५/२०२० श्रीमती मीरा देवी आदि बनाम विजय कुमार आदि की पत्रावली एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया। प्रार्थिया श्रीमती मीरा देवी ने अपने शपथपत्र ४सी२ में ३बी प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई स्थगन नहीं और न ही अपील विचाराधीन है। कार्यालय आख्या के अनुसार संबंधित बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार चेक रजिस्टर के क्रमाँक ४३ पर यू.टी.आर. नं. AXISP00181271851 से दिनाँक १८.०२.२०२१ को **₹७,२५,०००** पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी में जमा होने की प्रविष्टि है। मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक १०.०२.२०२१ को सुलहनामा के आधार **₹७,२५,०००** का एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से याचीगण सं.१ लगायत ५ श्रीमती मीरा देवी, रोहित, मोहित, मनीराम एवं श्रीमती हीरादेवी को क्रमशः ६०, १०, १०, ०५ एवं १५ प्रतिशत भाग प्राप्त होना है तथा प्रत्येक याचीगण को प्राप्त होने वाली धनराशि में से ७०-७० प्रतिशत भाग की ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जानी है तथा शेष प्रतिकर की धनराशि वे अपने बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट नकद प्राप्त कर सकेंगे। प्रार्थीगण द्वारा अपने बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई है। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण/याचीगण न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में जमाशुदा प्रतिकर धनराशि **₹७,२५,०००** अपने बैंक खाते में वर्णित एन्युटी व आर.टी.जी.एस/नेफ्ट के माध्यम से नकद अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ८५/२०२० (प्रकीर्ण वाद सं. ५३/२०२१ श्रीमती मीरा देवी आदि बनाम विजय कुमार आदि) के प्रकरण में जमाशुदा उक्त प्रतिकर की धनराशि **₹७,२५,०००** मय अर्जित ब्याज प्रार्थीगण/याचीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in Rs.	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Meera Devi	304500	42	Annuity for 3 Years	___	Any Nationalized Bank	____
1. Smt. Meera Devi	130500	18	Elect.Mode RTGS/NEFT	7279000100084512	PNB Block Pramukh Main Road Chirgaon, Jhansi	PUNB0727900
2. Rohit	50750	7	Annuity for 3 Years	___	Any Nationalized Bank	____

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.19 19:02:49 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribinal Jhansi

2. Rohit	21750	3	Elect.Mode RTGS/NEFT	7279000100084521	PNB Block Pramukh Main Road Chirgaon, Jhansi	PUNB0727900
3.Mohit	50750	7	Annuity for 3 Years	----	Any Nationalized Bank	____
3.Mohit	21750	3	Elect.Mode RTGS/NEFT	7279000100084503	PNB Block Pramukh Main Road Chirgaon, Jhansi	PUNB0727900
4. Maniram	25375	3.5	Annuity for 3 Years	----	Any Nationalized Bank	____
4. Maniram	10875	1.5	Elect.Mode RTGS/NEFT	7279000100084530	PNB Block Pramukh Main Road Chirgaon, Jhansi	PUNB0727900
5. Heera Devi	76125	10.5	Annuity for 3 Years	----	Any Nationalized Bank	____
5. Heera Devi	32625	4.5	Elect.Mode RTGS/NEFT	7279000100084549	PNB Block Pramukh Main Road Chirgaon, Jhansi	PUNB0727900
Total	725000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई–मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। उक्तानुसार एफ.डी.आर.मूल रूप में न्यायाधिकरण में अबिलंब प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।